राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
व्हाट्सएप्प हैल्पलाईन :– 9887320044

फोन न. 07432–230403,
फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

कमांकः भू अभि./18/28.

दिनांक 09.03.2018

–: आदेश :–

श्री महेन्द्र कुमार मीणा आत्मज श्री रत्तीराम मीणा तत्कालीन प्रशिक्षु पटवारी अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला बारां को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र के अनुसार I.P.C.की धारा 34,354,341 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनवा जिला बूंदी द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाकर दंण्डित किये जाने पर नैतिक कदाचार (MORAL TURPITUDE) की श्रेणी में मानते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालय आदेश कमांक भू अभि./18/8 दिनांक 30.01.2018 से सेवा से पृथक (REMOVAL FROM SERVICE) किया गया।

श्री मीणा द्वारा उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में प्रस्तुत रीट पिटीसन संख्या एस0बी0 सिविल 2216/18 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 की प्रमाणित प्रति निर्धारित समयावधि में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **"अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अदर्स"** की प्रति के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार राज्य प्रतिवादी को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर विचार कर प्रभावी आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेश दिनांक 31.01.2018 की पालना में **"अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अदर्स"** के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के प्रकाश में याची के अभ्यावेदन व संलग्न आपराधिक रेकार्ड का अवलोकन व सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड़ से विधिक राय प्राप्त किये जाने पर याची को साधारण मारपीट के प्रकरण में सह अभियुक्तगण के साथ धारा 341,323 भा0द0सं0 के अपराध में 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना प्रकट हुआ है।

अतः संदर्भित निर्णय तथा निर्देश के आलोक में अपने न्यायिक मस्तिष्क के मद्देनजर अपराध की न्यून प्रकृति व अपराध कारित करने के समय याचि की अल्प वयस्क आयु होने से याचि के आपराधिक प्रकरण की निर्योग्यता को क्षमा करने योग्य मानते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता, मैं **डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी** जिला कलक्टर झालावाड, श्री महेन्द्र कुमार मीणा को सेवा सें पृथक करने के आदेश दिनांक 30.01.2018 को अपास्त करते हुए श्री मीणा को तुरन्त प्रभाव से सेवा में पुनः स्थापित कर पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यकम अनुसार तहसील मनोहरथाना में तहसील प्रशिक्षण में रखने का आदेश प्रदान करता हूँ।

Sd
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड
दिनांक 09 03. 2018

कमांकः भू अभि./18/1624-30
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–1)विभाग राजस्थान जयपुर
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
3. सम्भागीय आयुक्त महोदय, कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना
5. प्रधानाचार्य, अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला बांरा
6. तहसीलदार तहसील मनोहरथाना
7. प्रशिक्षु पटवारी श्री महेन्द्र कुमार मीणा आत्मज श्री रत्तीराम मीणा ग्राम बांक्या उर्फ रतनगंज तहसील नैनवा जिला बूंदी (राज0)
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (भू.अभि.)
झालावाड